

08/25

पत्रावली चुंश हुई। बार-बार आगज दिलाने पर भी सायब एवं इनके अप्पिकम्ता उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 21/2024 अनंवान धर्मसिंह

बमाम वममन्ड अरम पैरवी अरम हाजिरी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमाद होमद बाद तम्मील नं. से कम नी जासद मूल होते से सायब शामिल मिसल रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया

आया।
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन म्पटी (करौली)